



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 914) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

सं० 09/न०वि० (Township)-02/2026-7026/न०वि० एवं आ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

9 जुलाई 2026

विषय— राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के सुनियोजित विकास एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य तकनीकी सहायता के लिए सी०ई०पी०टी० (सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी) सलाहकार फाउंडेशन, सी०ई०पी०टी० विश्वविद्यालय, अहमदाबाद को नामांकन के आधार पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चयन करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों के नियोजित विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं के सुदृढीकरण करने के लक्ष्य के तहत राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप का विकास किया जा रहा है, जिससे राज्य में नये आर्थिक गतिविधि केन्द्रों का निर्माण होगा तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होगा। ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के विकास के लिए रणनीतिक निरीक्षण, नीतिगत सहायता, योजनाओं के कार्यान्वयन, नियामक एवं संस्थागत सुदृढीकरण तथा कार्यक्रम स्तरीय समन्वय एवं अभिसरण हेतु एक विशेषज्ञ संस्थागत सलाहकार की आवश्यकता है।

- उक्त के आलोक में राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के सुनियोजित विकास एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य तकनीकी सहायता के लिए सी०ई०पी०टी० (सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी) सलाहकार फाउंडेशन, सी०ई०पी०टी० विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, जिसे शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार द्वारा नगर निवेशन एवं डिजाइन में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, को नामांकन के आधार पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चयन करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-08.07.2026 को मद संख्या-09 के रूप में प्रदान की गयी है।
- सी०ई०पी०टी० सलाहकार फाउंडेशन, सी०ई०पी०टी० विश्वविद्यालय, अहमदाबाद को विभागान्तर्गत तकनीकी सहायता इकाई (टी०एस०यू०) के रूप में स्थापित करने के लिए अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये एवं अन्य

- अनुमान्य कर के प्रयोजन के विरुद्ध Axis Bank Ltd. को विभाग द्वारा चुने गये कम से कम एक ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप का 05 वर्षों के लिए बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाएगा।
4. उक्त प्रयोजन के फलस्वरूप विभागान्तर्गत तकनीकी सहायता इकाई (टी०एस०यू०) को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ेगा।
- आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

आदेश से,
विनय कुमार,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 914-571+200-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>